डाक-व्यय की पूर्व अदायगी
के बिना डाक द्वारा भेजे जाने के
लिए अनुमत. अनुमति-पत्र
क्र. रायपुर-सी.जी.

पंजीयन क्रमांक रायपुर डिवीजन

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

## ( असाधारण )

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 151 ] रायपुर, शुक्रवार , दिनांक 13 जुलाई 2001—आषाढ़ 22, शक 1923

गृह विभाग (सी-अनुविभाग)

मंत्रालय, डी. के. एस. भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 13 जुलाई 2001

### अधिसूचना

क्रमांक एफ-4-65/गृह/सी/2001.—राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 ( 1980 का सं. 65 ) की धारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, एक सलाहकार बोर्ड गठित करती है, जिसमें निम्नलिखित होंगे :—

| | | |
|---|---|---|
| (एक) | मान. न्यायमूर्ति श्री एस. के. तिवारी,<br>(सेवानिवृत्त) विकास नगर,<br>बिलासपुर | अध्यक्ष |
| (दो) | श्री बी. एम. टण्डन<br>जिला न्यायाधीश (सतर्कता)<br>रायपुर. | सदस्य |
| (तीन) | श्री धीरेन्द्र मिश्रा,<br>एडव्होकेट,<br>मीना बाजार, बिलासपुर. | सदस्य |

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**ए. के. विजयवर्गीय,** प्रमुख सचिव.

रायपुर, दिनांक 13 जुलाई 2001

क्रमांक एफ-4-65/गृह/सी/2001.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग के आदेश क्रमांक एफ 4-65/गृह/सी/2001, दिनांक 13 जुलाई, 2001 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**ए. के. विजयवर्गीय,** प्रमुख सचिव.

Raipur, the 13th July 2001

NOTIFICATION

No. F 4-65/Home/C/2001.—In exercise of the powers conferred by Section 9 of the National Security Act, 1980 (No. 65 of 1980) the State Government hereby constitutes an Advisory Board which shall consist of :—

| | | |
|---|---|---|
| (1) | Hon'ble Shri Justice S.K. Tiwari, (Retd.) Vikas Nagar, Bilaspur. | Chairman |
| (2) | Hon'ble Shri B. M. Tandon, Dist. Judge (Vigilence), Civil Line, Raipur. | Member |
| (3) | Hon'ble Shri Dhirendra Mishra Meena Bazar, Bilaspur. | Member |

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
A. K. VIJAYAVARGEIYA, Principal Secretary.

रायपुर, दिनांक 13 जुलाई 2001

## अधिसूचना

क्रमांक एफ 4-65/गृह/सी/2001.—प्रिवेन्शन ऑफ इलिसिट ट्राफिक इन नारकोटिक ड्रग्स एण्ड सायकोट्राफिक सब्स्टेन्सेस, एक्ट 1988 (1988 का सं. 46) की धारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सराकर, एतद्द्वारा, एक सलाहकार बोर्ड गठित करती है जिसमें निम्नलिखित होंगे :—

| | | |
|---|---|---|
| (एक) | मान. न्यायमूर्ति श्री एस. के. तिवारी, (सेवानिवृत्त) विकास नगर, बिलासपुर. | अध्यक्ष |
| (दो) | श्री बी. एम. टण्डन, जिला न्यायाधीश (सतर्कता), रायपुर. | सदस्य |

(तीन) श्री धीरेन्द्र मिश्रा सदस्य
एडव्होकेट,
मीना बाजार, बिलासपुर.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**ए. के. विजयवर्गीय,** प्रमुख सचिव.

रायपुर, दिनांक 13 जुलाई 2001

क्रमांक एफ-4-65/गृह/सी/2001.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग के आदेश क्रमांक एफ 4-65/गृह/सी/2001. दिनांक 13 जुलाई, 2001 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**ए. के. विजयवर्गीय,** प्रमुख सचिव.

Raipur, the 13th July 2001

NOTIFICATION

No. F 4-65/Home/C/2001.—In exercise of the powers conferred by Section 9 of the Prevention of Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1988 (No. 46 of 1988) the State Government hereby constitutes an Advisory Board which shall consist of :—

(1) Hon'ble Shri Justice S.K. Tiwari, (Retd.) Vikas Nagar, Bilaspur. — Chairman

(2) Hon'ble Shri B. M. Tandon, Dist. Judge (Vigilence), Civil Line, Raipur. — Member

(3) Hon'ble Shri Dhirendra Mishra Meena Bazar, Bilaspur. — Member

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
A. K. VIJAYAVARGIYA, Principal Secretary.

रायपुर, दिनांक 13 जुलाई 2001

## अधिसूचना

क्रमांक एफ 4-65/गृह/सी/2001.—चोर बाजारी निवारण और अत्यावश्यक वस्तु प्रदाय बनाये रखना अधिनियम, 1980 (1980 का सं. 7) की धारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, एक सलाहकार बोर्ड गठित करती है जिसमें निम्नलिखित होंगे :—

(एक) मान. न्यायमूर्ति श्री एस. के. तिवारी, (सेवानिवृत्त) विकास नगर, बिलासपुर. — अध्यक्ष

(दो) श्री बी. एम. टण्डन, जिला न्यायाधीश (सतर्कता), रायपुर. — सदस्य

(तीन) श्री धीरेन्द्र मिश्रा एडव्होकेट, मीना बाजार, बिलासपुर. — सदस्य

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**ए. के. विजयवर्गीय**, प्रमुख सचिव.

रायपुर, दिनांक 13 जुलाई 2001

क्रमांक एफ-4-65/गृह/सी/2001.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग के आदेश क्रमांक एफ 4-65/गृह/सी/2001.-दिनांक 13 जुलाई, 2001 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**ए. के. विजयवर्गीय**, प्रमुख सचिव.

Raipur, the 13th July 2001

## NOTIFICATION

No. F 4-65/Home/C/2001.—In exercise of the powers conferred by Section 9 of the Prevention of Blackmarketing and Maintenance of Supplies of Essential Commodities Act, 1980 (No. 7 of 1980) the State Government hereby constitutes an Advisory Board which shall consist of :—

(1) Hon'ble Shri Justice S.K. Tiwari, (Retd). Vikas Nagar, Bilaspur. — Chairman

(2) Hon'ble Shri B. M. Tandon, Dist. Judge (Vigilence), Civil Line, Raipur. — Member

(3) Hon'ble Shri Dhirendra Mishra Meena Bazar, Bilaspur. — Member

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
A. K. VIJAYAVARGIYA, Principal Secretary.

रायपुर, दिनांक 13 जुलाई 2001

## अधिसूचना

क्रमांक एफ 4-65/गृह/सी/2001.—विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम, 1974 (1974 का सं. 52) की धारा 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, एक सलाहकार बोर्ड गठित करती है जिसमें निम्नलिखित होंगे :—

(एक) मान. न्यायमूर्ति श्री एस. के. तिवारी, (सेवानिवृत्त) विकास नगर, बिलासपुर. — अध्यक्ष

(दो) श्री बी. एम. टण्डन, जिला न्यायाधीश (सतर्कता), रायपुर. — सदस्य

(तीन) श्री धीरेन्द्र मिश्रा एडव्होकेट, मीना बाजार, बिलासपुर. — सदस्य

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**ए. के.विजयवर्गीय**, प्रमुख सचिव.

रायपुर, दिनांक 13 जुलाई 2001

क्रमांक एफ-4-65/गृह/सी/2001.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग के आदेश क्रमांक एफ 4-65/गृह/सी/2001. दिनांक 13 जुलाई, 2001 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**ए. के. विजयवर्गीय,** प्रमुख सचिव.

Raipur, the 13th July 2001

## NOTIFICATION

No. F 4-65/Home/C/2001.—In exercise of the powers conferred by Section 8 of the Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act, 1974 (No. 52 of 1974), the State Government hereby constitutes an Advisory Board which shall consist of :—

(1) Hon'ble Shri Justice S.K. Tiwari, (Retd). Vikas Nagar, Bilaspur. — Chairman

| | | |
|---|---|---|
| (2) | Hon'ble Shri B. M. Tandon,<br>Dist. Judge (Vigilence)<br>Civil Line, Raipur. | Member |
| (3) | Hon'ble Shri Dhirendra Mishra<br>Meena Bazar, Bilaspur. | Member |

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh.
A. K. VIJAYAVARGEIYA, Principal Secretary.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2001.